शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 फरवरी 2015
पीअर रीव्यूड रिसर्च जर्नल

दलितोद्धार में डॉ. भीमराव अम्बेडकर का योगदानःएक अध्ययन

जितेन्द्र कुमार चौधरी (शोधार्थी, नेट जेआरएफ)
समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय
जबलपुर, मध्यप्रदेश, भारत

शोध संक्षेप

अछूत के रूप में समाज में दलितों का अस्तित्व भारत के समाज की चरम विकृति का द्योतक है। भारतीय समाज के इस वर्ग को उनकी उल्लेखनीय संख्या, विश्वव्यापी फैलाव और उपयोगी कार्यकुशलता के बावजूद कब और कैसे देश की मुख्य धारा से अलग कर उन्हें दलित अन्त्यज, अवर्ण अथवा पंचम वर्ण के रूप में दासतापूर्ण जीवन जीने के लिए बाध्य किया गया, इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ भी कह पाना कठिन है; किन्तु एक बात निश्चित रूप से सही है कि चर्मकार, महार, भंगी एवं पेरियार आदि नामों से पहचाने जाने वाले ये लोग अपनी स्वयं की इच्छा से तो समाज की परिधि से बाहर रहने के लिए नहीं गए होंगे। सच्चाई यह लगती है कि इन लोगों को समाज से बाहर धकेल कर वहाँ पंहुचाने वाले लोग वे ही होंगे, जिन्होंने इनके अधिकारों को छीनकर अपने अधिकारों में वृद्धि की होगी तथा धर्म शास्त्र, शस्त्र और संपत्ति के बल पर इस दलित समाज को सदियों पूर्व अपने समस्त मानवीय अधिकारों से वंचित एवं बेदखल कर दिया। प्रस्तुत आलेख में दलितों की स्थिति सुधारने के लिए डॉ.अम्बेडकर के योगदान को रेखांकित किया गया है।

भूमिका

भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना, अस्पृश्यता उन्मूलन एवं दलितोद्धार के लिए किये गये संघर्ष के इतिहास का अध्याय डॉ. भीमराव अम्बेडकर के योगदान के उल्लेख के बिना अधूरा ही माना जा सकता है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर एक क्रांतिकारी विद्रोही थे, जिन्होंने दलितों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलवाने के लिए संघर्ष किया।1 वर्तमान युग में न्यायपूर्ण समाज की संरचना के लिए भारत में जिन समाज-सुधारकों ने कार्य किया है, उनमें से अधिकांश को इस कार्य के लिए किसी न किसी की प्रेरणा या सहानुभूति मिली थी। केवल डॉ.अम्बेडकर ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यह कार्य अपनी स्वयं की प्रेरणा से किया था।

दलितोद्धार एक मात्र उद्देश्य

अछूत परिवार में जन्म लेने के कारण सामाजिक भेदभाव, अपमान व तिरस्कार की जो पीड़ा डॉ. अम्बेडकर ने झेली, वैसी पीड़ा किसी अन्य को नही झेलनी पड़ी थी। इस कारण सामाजिक अन्याय के विरूद्ध संघर्ष, विशेष रूप से दलितों के उद्धार के लिए संघर्ष को डॉ.अम्बेडकर ने अपने जीवन का उद्देश्य घोषित किया। उन्होंने कहा - जिस दलित जाति में मैं पैदा हुआ हूँ, उसे मुक्ति दिलाना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है और यदि मैं इस उद्देश्य की पूर्ति नही कर सका तो गोली मारकर अपना जीवन समाप्त कर लूंगा।2

शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 फरवरी 2015
पीअर रीव्यूड रिसर्च जर्नल

डॉ.भीमराव अम्बेडकर का यह कथन सामाजिक न्याय के विरूद्ध संघर्ष के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण की भावना को प्रदर्शित करता है।

डॉ.अम्बेडकर का दलित मुक्ति मार्ग

डॉ.अम्बेडकर सवर्णो के हृदय-परिवर्तन और सामाजिक सुधार संबंधी महात्मा गांधी के कार्यक्रमों पर विश्वास नही करते थे। वे लम्बे समय तक दलितों की मुक्ति के लिए इन्तजार करने के पक्ष में भी नही थे। उनका विश्वास था कि स्वतंत्रता और समानता संबंधी जो अधिकार दलितों से अतीत में छीन लिये गये थे, उनको पुनः प्राप्त करना भीख मांगने से नही, अपितु कठोर संघर्ष करने से ही हो सकता है।3 अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए डॉ.अम्बेडकर ने संघर्ष का मार्ग चुना। दलितों में अपने अधिकारों के प्रति जागृति पैदा करने के लिए उन्होंने 1920 में 'मूक नायक' और 1927 में 'बहिष्कृत भारत' पाक्षिक समाचार पत्रों के प्रकाशन की पहल की। 1927 से 1930 के बीच उन्होंने दलितों को सार्वजनिक स्थानों के उपयोग के अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। इन संघर्षों में चवदार तालाब से पानी लेने संबंधी 'महाड़ सत्याग्रह' सहित अम्बादेवी ठाकुर द्वारा गणपति प्रांगण तथा कालाराम मन्दिरों में प्रवेश के लिए किये गये आन्दोलन मुख्य है।

डॉ.अम्बेडकर और हिन्दू धर्म

हिन्दू धर्म में सुधार लाने से दलितों को सामाजिक न्याय मिल सकेगा, इस बात पर डॉ.अम्बेडकर को विश्वास नही था। उनका कहना था कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि अतीत में महात्माओं ने तेज आंधी की तरह केवल धूल उड़ायी है, उनके द्वारा असमानता वाले स्तरों में समानता नही लाई जा सकी।4 उन्होंने बताया कि भारत में ऐसे अनेक महात्मा हुए हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य अस्पृश्यता निवारण और दलितों की स्थिति को समृद्ध करना और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना था, किन्तु उनमें से प्रत्येक अपने उद्देश्य में असफल रहा। महात्मा आये और चले गये किन्तु अछूत, अछूत ही बने रहे।5 दलितों से उनका कहना था कि तुलसी की माला जपने अथवा राम भजन करने से कर्ज कम नही होता और न ही इससे लगान में कटौती होती है। तीर्थ करने से मासिक वेतन नही मिला करता।

दलितोद्धार संतों द्वारा संभव नहीं

डॉ.अम्बेडकर का मानना था कि समानता और सामाजिक न्याय की स्थापना का काम सन्तों के बूते का नही है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सन्तों ने कभी जाति-प्रथा अथवा अस्पृश्यता के विरूद्ध अभियान नही छेड़ा। इस दुनिया में क्या होता है, विभिन्न समूहों की क्या स्थिति है और उनके इस लोक में क्या संघर्ष हैं, इन बातों की सन्तों को चिन्ता नही थी। उनकी चिन्ता थी, आत्मा और परमात्मा के बीच सम्बन्ध। सन्तों ने कभी यह नहीं कहा कि सभी मनुष्य समान है। उन्होंने कहा कि सभी मनुष्य ईश्वर की नजरों में समान हैं। यह बहुत भिन्न तथा हानिप्रद प्रस्थापना है। इस बात का उपदेश देना कठिन नहीं है। सन्तों ने कभी जाति को नष्ट करने की, इस दुनिया से ऊँच-नीच के भेद को समाप्त करने की बात नही कही।6

दलितोद्धार में डॉ.अम्बेडकर का शिक्षा के प्रति रूझान

डॉ.भीमराव अम्बेडकर दलितों में शिक्षा के प्रचार-प्रसार को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। दलितों में

शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 फरवरी 2015
पीअर रीव्यूड रिसर्च जर्नल

शिक्षा के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने 1924 में 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' 1928 में, डिप्रेस्ड क्लास एज्यूकेशन सोसाइटी तथा 1944 में, 'पीपुल्स एज्यूकेशन सोसायटी की स्थापना की। डॉ.अम्बेडकर की दृष्टि से शिक्षा दलितों के उद्धार का सशक्त माध्यम है। डॉ.अम्बेडकर ने 'पीपुल्स एज्यूकेशन सोसायटी' के अन्तर्गत मुम्बई में 1946 में सिद्धार्थ कॉलेज तथा 1951 में औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज की स्थापना की। डॉ.अम्बेडकर का कहना था कि दलित लोगों के गुलाम होने का कारण यही था कि इन लोगों के पास ज्ञान नही था और न शक्ति थी। उनकी दृष्टि में शिक्षा की शक्ति ही एक मात्र माध्यम थी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शिक्षा लोगों को राजनीतिक दृष्टि से जागरूक बनाने तथा अपने हितों की रक्षा के लिए एकजुट होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, किन्तु शिक्षा के लिए एक राजनीतिक मंच तथा कुशल नेतृत्व की आवश्यकता होती है।7

दलितोद्धार में राजनीतिक पहल

डॉ.भीमराव अम्बेडकर का विचार था कि दलित तब तक न्यायपूर्ण अधिकारों की प्राप्ति और अपने हितों की रक्षा नही कर सकते जब तक कि राजनीतिक शक्ति पर उनका अधिकार नही होता, क्योंकि अपनी निर्धन स्थिति के कारण आर्थिक शक्ति पर अधिकार कर पाना उनके लिए सम्भव नही है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी उल्लेखनीय संख्या के कारण ये लोग राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। राजनीतिक शक्ति पर अधिकार हो जाने से इस वर्ग के लिए आर्थिक व सामाजिक हितों की रक्षा करना कठिन नही होगा। दलित वर्गों में राजनीतिक जागृति लाने की दृष्टि से डॉ.भीमराव अम्बेडकर ने 'आल इण्डिया शिड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन' की 1942 में स्थापना की। उन्होंने 1927 में 'समता सैनिक दल' का गठन किया और इस संगठन के झण्डे के नीचे उन्होंने दलितों को संगठिन किया। दलितों के राजनीतिक धरातल के विस्तार के उद्देश्य से डॉ.अम्बेडकर ने दलितों एवं श्रमिकों को एक संयुक्त राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित करने का प्रयास किया और 1936 में 'इडिपेंडेन्ट लेबर पार्टी' के नाम से एक नया राजनीतिक दल गठित किया। आगे चलकर डॉ.अम्बेडकर के अनुयायियों ने उनकी मृत्यु के बाद उनके निर्देश पर 'भारतीय रिपब्लिकन पार्टी' के झण्डे तले अपना राजनीतिक मोर्चा संभाला।

दलितोद्धार के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के विरूद्ध महात्मा गांधी का आमरण अनशन

साउथबरो समिति और साइमन कमीशन के सामने मुंबई लेजिस्लेटिव कौंसिल, गोलमेज सम्मेलन एवं संविधान सभा में जब कभी डॉ.अम्बेडकर को बोलने का अवसर मिला, उन्होंने दलित वर्ग के पक्ष को पूरे सशक्त एवं तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया। उनकी पहल पर जब अंग्रेजी सरकार ने दलितों को अलग से प्रतिनिधित्व देने की घोषणा की तो महात्मा गांधी ने इसके विरूद्ध आमरण अनशन शुरू कर दिया।

महात्मा गांधी के अनशन पर होने वाली राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को देखते हुए डॉ.अम्बेडकर ने पूना की यरवदा जेल में महात्मा गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात में डॉ.अम्बेडकर, महात्मा गांधी एवं कांग्रेस के प्रतिनिधियों के बीच 1932 में एक समझौता हुआ, जिसे 'पूना पेक्ट' कहा जाता है।

इस समझौते के परिणामस्वरूप डॉ.अम्बेडकर ने पृथक प्रतिनिधित्व की मांग छोड़ दी तथा कांग्रेस ने विधानमण्डलों में दलित वर्ग के लिए आरक्षण व अन्य सुविधाएँ देने में अत्याधिक उदारता का परिचय दिया।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर का

सामाजिक न्याय के क्षेत्र में डॉ.भीमराव अम्बेडकर के योगदान की चर्चा करते समय उनके इस क्षेत्र में दिये गये वैधानिक एवं संवैधानिक योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। 1942 सें 1946 तक ब्रिटिश भारत की वायसराय की कौंसिल के लेबर मैम्बर के रूप में डॉ.अम्बेडकर ने महिला श्रमिकों व पुरूष श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए उस समय के श्रम नियमों में संशोधन किये और उनको सुरक्षा प्रदान करने व उनके कल्याण के लिए कई योजनायें बनायी थी।

श्रमिकों में निम्न व पिछड़ी जातियों की बहुतायत होने के कारण श्रमिकों को मिलने वाले लाभ से इन जातियों के लोगों को लाभ मिला ही, अन्य जातियों के गरीब श्रमिकों को भी भारी लाभ हुआ। इसी बीच उन्होंने ब्रिटिश सरकार से दलित वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति तथा सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान भी करवाया। संविधान सभा में संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने महिलाओं, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों एवं श्रमिकों को न्याय दिलवाने की दृष्टि से संविधान में अनेक प्रावधान किये। भारत के कानून मंत्री के रूप में डॉ.भीमराव अम्बेडकर ने 'हिन्दू कोड बिल' की संरचना की जो हिन्दू महिलाओं की मुक्ति व हिन्दू समाज के संबंध में उनका ऐतिहासिक योगदान है।8

निष्कर्ष

दलितों के मसीहा एवं उद्धारक के रूप में डॉ.भीमराव अम्बेडकर के योगदान के बिना दलितों की स्थिति में सुधार होना असम्भव था। विपरीत परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप अपने ज्ञान एवं दृढ़ निश्चिय से इस महापुरूष ने महापुरूष होने की पूर्ण परिभाषा दी जिसने भजन, भक्ति एवं कीर्तन के मार्ग का खण्डन कर शिक्षा का मार्ग अपनाकर दलितों को अपनी मुक्ति का सशक्त माध्यम दिखाया। सदियों से पीड़ित, वंचित एवं शोषित वर्ग को अपने अधिकारों के प्रति जाग्रत ही नहीं किया अपितु उन्हें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, धार्मिक निर्योग्यताओं से मुक्ति दिलाई और समाज में इन पिछड़े और बहिष्कृत लोगों को जीने का नागरिक अधिकार दिया जो भारत देश की अखण्डता और प्रभुसत्ता को बनाये रखने में मील का पत्थर साबित हुई।

संदर्भ ग्रंथ

1.शकुन्तला धवन, (1991), डॉ.अम्बेडकर : अपोस्टल आफ सोशल जस्टिस, योजना, 15 अप्रैल, 1991, पृ. 12

2.धन्नजय कीर, वही, पृ. 80

3.वही, पृ. 82

4.वही, पृ. 166

5.डा.बाबा साहब अम्बेडकर सम्पूर्ण वाड्मय खण्ड-1 वही, पृ. 142

6.मधुलिमये, (2000), डा.अम्बेडकर : एक चिंतन, दिल्ली, आत्माराम एंड संस, पृ. 35

7.नानकचंद रत्तू, (2005), डा.अम्बेडकर के अंतिम कुछ वर्ष, नई दिल्ली, सम्यक प्रकाशन, पृ. 78

8.डा.पूरणमल, (2010), दलित संघर्ष और सामाजिक न्याय, आविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, पृ. 27-28